30/2025

23/3/25 पत्रावली पेश हुई । आज स्थानीय बार एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया हुआ है । पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य मे व्यस्त है । पत्रावली साप्ताहिक आदेश दिनांक 23/6/25 को पेश हो ।

आज्ञा से रीडर

4/7/25

रिव प्रकाश

श्रीमान जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक न्याय / विविध / 2025 / 42033 दिनांक 13 / 2 / 25 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में निबारण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53,88,89,92क,183,188,एवं 212 के अन्तर्गत निकालपित नहरीपुर सवाईपुर की पत्रावलिया अंतरित होकर वास्ते सुनवाई [illegible] सुनवाई तलब किया जाकर कायम [illegible] पत्रावलियों का सम्यक रूप से [illegible] 1956 की धारा 216 (3) में घोषित [illegible] पत्रावलियां में त्वरित न्याय [illegible] दिनांक 4/7/25

स्थान न्यायालय पेश हुई। वादी [illegible] उपस्थित। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर निर्माण के पुत्र के नाम स्थानान्तरित हो जाने से प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चलाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा किये गये निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किया जाता है। नियमानुसार हस्ताक्षर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

4/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा